संख्या:151/2026/942 /35-4-2026/35-4099/68/2022

प्रेषक,

अनिल कुमार सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
सुलतानपुर।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ; दिनांक: 27 मई,2026

विषय: वित्तीय वर्ष 2026-27 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में जनपद सुलतानपुर में सड़क निर्माण से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-73/2020/838/35-4-2020 दिनांक 07 दिसम्बर, 2020 द्वारा स्वीकृत 01 कार्य की रू0 1667.43 लाख की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू0 333.49 लाख अवमुक्त की गयी है। तत्पश्चात शासनादेश संख्या-28/2022/81/35-4-2022, दिनांक 21 जनवरी, 2022 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में रू. 500.23 लाख एवं शासनादेश संख्या-101/2022/273/35-4-2022, दिनांक 28 मार्च, 2022 द्वारा तृतीय किश्त के रूप में रू. 416.86 लाख एवं शासनादेश संख्या-229/2022/836/35-4-2022/001-35-4099/68/2022 दिनांक 05 अगस्त, 2022 द्वारा चतुर्थ किश्त के रूप में रू. 333.48 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई। इस प्रकार प्रश्नगत कार्य हेतु अनुमोदित लागत रू0 1667.43 लाख के सापेक्ष कुल मिलाकर रू. 1584.06 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

2- आपके पत्रांक-266/त्व0आ0वि0यो0/2025-26 दिनांक 27 फरवरी, 2026 एवं 340/त्वे0आ0वि0यो0/2025-26 दिनांक 19.03.2026 के द्वारा उक्त शासनादेशों से स्वीकृत प्रश्नगत कार्य हेतु पूर्व में अवमुक्त की गई धनराशि का व्यय होना इंगित करते हुए अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने की संस्तुति के क्रम में एतद्द्वारा उक्त शासनादेश दिनांक 07 दिसम्बार, 2020 द्वारा स्वीकृत कार्य की लागत रू. 1667.43 लाख के सापेक्ष पूर्व में अवमुक्ता धनराशि रू. 1584.06 लाख को समायोजित करते हुए अवशेष देय धनराशि के रूप में रू0 77.52 लाख (रूपये सतहत्तर लाख बावन हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(लाख रू. में)

कार्य का नाम	अनुमोदित लागत	निविदा उपरान्त कार्य की लागत (अनुमन्य चार्ज सहित)	जमा अतिरिक्त सेन्टेज चार्ज	पूर्व में अवमुक्त धनराशि	अवमुक्त धनराशि
तीर्थराज धोपाप बाजार से राईबीगो होकर तहसील-कादीपुर मुख्यालय को जोड़ने वाले मार्ग का चौड़ीकरण।	1667.43	1653.99	7.59	1584.06	77.52

1. सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 07 दिसम्बर, 2020, 21 जनवरी, 2022, 28 मार्च, 2022 एवं दिनांक 05 अगस्त, 2022 की शर्तें यथावत लागू रहेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

2. प्रदेश की राजकीय कार्यदायी संस्थाओं को सेंटेज चार्ज वित्त विभाग के शासनादेश सं0-01/2023/ए-2-7/10-2023-17(4)/75 दिनांक 17 मार्च, 2023 के अनुसार देय होगा।
3. प्रश्नगत कार्यों हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दी जायेगी।
4. परियोजना के लिये स्वीकृत धनराशि ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंक, डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आवश्कतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी और तदनुसार कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।
5. कार्यों को मानकों के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।
6. स्वीकृत धनराशि का आहरण कर सदुपयोग सुनिश्चित किया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त, अनाहरित बचती है, तो उसे 31 मार्च, 2027 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा 31 मार्च, 2027 तक नियोजन अनुभाग-4 को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
7. राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उ०प्र० में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून, 2027 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।
8. वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए स्वीकृत आय-व्ययक के सापेक्ष उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में उल्लिखित शर्तों एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 77,52,000/-(रूपये सतहत्तर लाख बावन हजार मात्र) को वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 040 लेखाशीर्षक 5054043370303 ग्रामीण क्षेत्रों में अधूरी सड़कों के लिए एकमुश्त व्यवस्था मानक मद 24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
अनिल कुमार सिंह
विशेष सचिव।

संख्या:151/2026/942 (1)/35-4-2026/35-4099/68/2022 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण/ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग।
4- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त, उ०प्र० शासन।
5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, उ०प्र० शासन।
6- निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी।
7- मण्डलायुक्त, अयोध्या मंडल।
8- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, लखनऊ।
9- मुख्य विकास अधिकारी, सुलतानपुर।
10- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, सुलतानपुर।
11- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
12- सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन, नियोजन विभाग।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

13- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, सुलतानपुर।
14- सम्बन्धित अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, सुलतानपुर।
15- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अनिल कुमार सिंह
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।